

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनिल कुमार सोनकर पुत्र सुरेश कुमार सोनकर निरोड़ डिहवा इन्द्रापारा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-28/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. फिरोज आलम महावत पुत्र नजर मोहम्मद निरोड़ आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-15/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संगीता देवी पत्नी सत्य प्रकाश पासवान निरोड़ केवलपुरा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-20/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ज्योति कुमार उर्फ लाला पुत्र सहदेव निरोड़ प्रधानपुरवा बक्सरा आज्ञाराम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-32/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों— 01. सुरेश पुत्र स्वरोपारसनाथ, 02. रीतादेवी पत्नी सुरेश निवासीगण पिपरा बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर में पंजीकृत मु030सं0-37/2021, धारा 498ए.304बी.201 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों द्वारा दिनांक 26.01.2021 को वादी श्याम नारायण पुत्र संतराम निरोड़ दुर्गा बैनिया थाना कोरोड़ा देहात जनपद गोण्डा की पुत्री को दहेज के लालच में मारकर गन्ने के खेत में दफना दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मल्हापुर बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त राजेश पुत्र स्व0 रक्षाराम नि0 उडिला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0—447 / 20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी शैलेन्द्र सिंह पुत्र गौरी शंकर सिंह नि0 चैनापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की जमीन कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर बैनामा करा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें करनैलगंज पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को दुबाहा रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अन्तर्जनपदीय 02 मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिले बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. कृष्ण मोहन उर्फ रवि सिंह पुत्र कपिल देव नि0 कड़सरा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
02. रविन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 मल्लू पाण्डेय नि0 बिछनईया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी-

01. 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल।
02. 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0—17 / 21, धारा 379 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0—25 / 21, धारा 411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.01.2021 को वादी अजय कुमार तिवारी पुत्र राजमन तिवारी नि0 जिगिरिया थाना खोड़ारे की मोटरसाइकिल पिपरा स्माईल विद्यालय से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी थी। जिसमें सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त कृष्ण मोहन को उक्त मुकदमा से सम्बंधित एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे के साथ व उसके साथी अभियुक्त रविन्द्र कुमार को एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बगदर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमाण्ड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता-

01. व0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्र।
02. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. हे0का0 रमामिलन सिंह।
04. का0 बृजेश भारती।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 08.02.2021

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चैतू पुत्र भोंदू निर्वाचनीय काल्हुआ गोसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-37 / 21, धारा 8 / 20, एन0डी0पी0एस0 एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.02.2021 को थाना इटियाथोक के व0उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बाबागंज रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय।
02. हे0का0 सुभाष यादव।
03. हे0का0 सुरेशचन्द्र मिश्र।
04. का0 जितेन्द्र यादव।

01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रूपनरायन उर्फ काली पुत्र गुरु प्रसाद निं० ग्राम दुरौनी डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-२०/२१, धारा ८/२०, एन०डी०पी०एस० एकट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 08.02.2021 को थाना परसपुर के उ०नि० उमेश कुमार वर्मा मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को कल्लू चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना परसपुर में एन०डी०पी०एस० एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० उमेश कुमार वर्मा।
02. हेड का० अजय कुमार पाण्डेय।
03. का० उमेश कुमार गुप्ता।

220 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मु० रईस पुत्र स्व० अब्दुल गफकार निं० रानी बाजार घोसियाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-१०३/२१, धारा ८/२०, एन०डी०पी०एस० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 220 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 08.02.2021 को थाना को0 नगर के उ0नि0 अश्वनी कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बड़ाव पुल के नीचे से गिरफतार कर उसके कब्जे से 220 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफतार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अश्वनी कुमार।
02. है0का0 मुन्ना प्रसाद।
03. का0 दीपक चौरासिया।